न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल सिंह आर. ए. एस.

मुकदमा नम्बर :– 11 सन् 2017 अपील

1. श्री फतेहसिंह आत्मज श्री भूरसिंह रावत, उम्र वयस्क, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री पूनमसिंह आत्मज श्री भूरसिंह रावत, उम्र वयस्क, निवासी मालकोट, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

............अपीलार्थीगण

बनाम

श्री डालसिंह आत्मज श्री भूरसिंह रावत, उम्र वयस्क,निवासी कुकडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

श्रीमति अणछी आत्मजा श्री भूरसिंह रावत उम्र वयस्क, निवासी कुकडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

............विपक्षीगण

अपील विरुद्ध आदेश संरपच ग्राम पंचायत चिताम्बा, जिला भीलवाडा द्वारा ग्राम धुवाला तहसील माण्डल, पटवार सर्कल धुवाला की नामान्तरण एंव प्रविष्टि संख्या 2 दिनांक 27.7.1959 को अपास्त करने हेतु

उपस्थितः–

श्री भैरूलाल बापना व विपुल बापना — एडवोकेट — अपीलार्थी

श्री अशोक श्रौत्रिय — एडवोकेट — प्रत्यर्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

निर्णय

निर्णय दिनांकः–12.04.2021

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरुद्ध आदेश संरपच ग्राम पंचायत चिताम्बा, जिला भीलवाडा ग्राम धुवाला तहसील माण्डल, पटवार हल्का धुवाला की नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 2 दिनांक 27.7.1959 को अपास्त करने हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा मे प्रस्तुत कर उपरोक्त नामान्तरकरण आदेश को आक्षेपित करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के पूर्वज भूरसिंह आत्मज श्री खंगार सिंह रावत के नाम पर ग्राम धुवाला के साबिक खसरा संख्या 41/1 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा 73/8 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रकार्ड थी जिसका नामान्तरण त्रुटिपूर्वक गलत ढंग से बिना न्यायालय के आदेश के प्रत्यर्थी के पिता भूरसिंह पिता कानसिंह रावत के नाम पर खोल दिया उनके वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 है। इस नामान्तरण की जानकारी दिनांक 18.6.1998 को हुई जिस पर उपरोक्त नामान्तरण को आक्षेपित करने के लिए यह अपील जानकारी से मियाद मे प्रस्तुत की गई है अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट स्वीकार कराई जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश निरस्त करावे।

जिस पर न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु को कायम रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किए व रेकार्ड तलब किया प्रत्यर्थी के अनुपस्थित रहने से प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया, अपीलाण्ट की अपील को सुनकर उपखण्ड अधिकारी महोदय भीलवाडा ने दिनांक 15.5.2000 को अपील को स्वीकार कर ग्राम पंचायत के नामान्तरण संख्या 2 दिनांक 27.5.1959 को निरस्त कर पत्रावली को अतिरिक्त तहसीलदार करेडा को प्रति प्रेषित किया।

उपरोक्त निर्णय की अपील प्रत्यर्थी द्वारा माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के यहा प्रस्तुत की गयी जिस पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त ने दिनांक 5.8.2004 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 15.5.2000 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित की। लेकिन नवीन उपखण्ड माण्डल सृजित हो जाने से पत्रावली बाद अन्तरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के यहॉ अन्तरित हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

जिस पर उपरोक्त आदेश की पालना मे प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से बावजुद सूचना के कोई उपस्थित नही होने से दिनांक 31.3.2005 को प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने उपरोक्त आदेश को समाप्त कराने के लिए दिनांक 28.7.2005 को दो तरफा का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने दिनांक 30.5.2008 को प्रत्यर्थी के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया।

उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत की जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 21.1.2013 को रेस्पोंडेन्ट/निगरानीकर्ता के पक्ष मे निर्णय पारित करते हुए दिनांक 30.5.2008 के निर्णय को निरस्त करते हुये प्रकरण के पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी माण्डल को प्रतिप्रेषित किया जिस पर पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल मे दर्ज किया जाकर पक्षकारो को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 19.6.2014 को पत्रावली में अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, जिस पर अपीलार्थीगण के द्वारा दो तरफा कार्यवाही का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को तलब किया। दौराने कार्यवाही प्रत्यर्थी राजी की मृत्यु हो जानें से व उसके वारिस पूर्व मे ही संयोजित होने से दिनांक 19.11.2015 को राजी का नाम अपील से हटा गया। तत्पश्चात् पत्रावली विचारण मे थी, दौराने विचारण अपीलार्थी द्वारा अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश होते हुए दिनांक 26.8.2016 को अपील अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज की। अपीलार्थी अधिवक्ता ने पुनः दो तरफा कार्यवाही कराने का प्रार्थनापत्र दिनांक 20.9.2016 को प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने दो तरफा कार्यवाही के आदेश दिये। दौराने कार्यवाही अपील अपीलार्थी ने आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थनापत्र विचाराधीन था, दिनांक 17.11.2017 को उपरोक्त पत्रावली नवीन उपखण्ड करेडा सृजन होने से न्यायालय को प्राप्त हुई, जिस पर कार्यवाही पूर्वानुसार चलती रही। दिनांक 10.2.2020 को पुनः अधिवक्ता ने अपीलार्थी गेंदी की मृत्यु हो जाने से उसका नाम हटाने पर अनापत्ति की, जिस पर गेंदी अपीलार्थी का नाम हटाया गया। प्रत्यर्थी की ओर से उपरोक्त दिनांक को धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जवाब पेश किया तथा साथ ही आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थनापत्र भी मय दस्तावेज प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

तत्पश्चात् कोरोना काल होने से पत्रावली विचारण मे चलती रही। दिनांक 8.2.2021 को न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस धारा 5 परि. अधि. के प्रार्थनापत्र पर सुनी गई व अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र धारा 5 परि. अधि. को स्वीकार किया गया। दिनांक 1.3.2021 को अपीलार्थी की ओर से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का जवाब दिया , जिस पर दोनो पक्षो की बहस सुनकर प्रार्थनापत्र प्रत्यर्थी आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया गया। तत्पश्चात् उभयपक्षकारों की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित जायदाद को प्रत्यर्थी ने तुलसी देवी पत्नी धन्ना सिंह को विक्रय कर दिया, जो विधिनुसार वादलम्बन (लिस पेडेन्सी) के सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीन है। इस प्रकार अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि ग्राम मालकोट तहसील देवगढ व ग्राम धुवाला, तहसील माण्डल, की भूमियो की सीमाए एक दूसरे से लगी होकर जमीने पास स्थित है अपीलार्थी के पूर्वज भूरसिंह आत्मज श्री खंगार सिंह रावत के नाम पर खसरा संख्या 41/1 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 7318 रकबा 5 बीघा [illegible] बिस्वा साबिक रेकार्ड मे दर्ज थी जिसके नवीन खसरा संख्या 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 1153, 1154, 1165, 1167, 1168, 1169, बने जिसमे से 1148, 1149, 1153, 1154, 1165, 1167, 1168, 1169 कुल किता 8 रकबा 4.9573 हैक्टैयर भूमि वर्तमान मे दौराने विचारण विक्रय किए जाने से तुलसी देवी धन्नासिंह के नाम पर अंकित चली आ रही हैं, किन्तु न्यायिक कार्य की जानकारी होते हुये भी विक्रय किया गया, जो सम्पति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 52 के तहत विक्रय स्वतः निरस्त माना जाता है। एंव शेष नवीन खसरा संख्या 1150, 1151, 1152 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0759 हैक्टयर भूमि वर्तमान मे अपीलार्थी अणछी पुत्री भूरसिंह, डाऊ पुत्र भूरसिंह रावत के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि संवत 2006 में असल मे भूमि उनके पूर्वज भूरसिंह / खंगार सिंह सेवा[illegible]जी को आवंटित हुई जिसका गलत तरीके से बिना किसी [illegible] ऑर्डर के नामान्तरण सख्या 2 दिनांक 27.7.19[illegible] खाते में शुद्वीकरण कर भूरसिंह पिता कानसिंह अंकित कर दिया। तत्पश्चात् उसके वारिसो का नाम दर्ज कर दिया गया। जो इंतकाल सख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया थां। वह इंतकाल संख्या 2 न तो किसी न्यायालय आदेश से और न ही शुद्धिकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन

के किसी विधिक आदेश से खोला गया। जिसके समर्थन मे अपीलार्थी ने उपरोक्त इंतकाल संख्या 2 प्रस्तुत किया, इंतकाल संख्या 2 मे भी स्पष्ट रुप से अपीलार्थी के पिता भूरसिंह आत्मज खंगारसिंह के नाम पर जायदाद का अंकन है। जिसको बिना किसी आदेश के हटा दिया। कोई भी म्यूटेशन होता है उसे काटकर नही किया जाता नोट लगाया जाता है एवं संबंधित न्यायालय/कार्यालय के आदेश का हवाला दिया जाता है जिनका नाम काटा गया उनको सुनवाई हेतु कोई सूचना/नोटिस नही दिया गया। साथ ही अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के समर्थन में ग्राम पंचायत धुवाला का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें स्थानीय प्रधीकारी ग्राम पंचायत के सरपंच ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि यह जमीन गलत दर्ज हो गई है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आ0नं0 43/1 एवं 73/8 की जमाबन्दी संवत 2013—16 (सन 1957) भूरसिंह की वल्दीयत खंगारसिंह को काटकर कानसिंह किया गया है जिस पर जिस पर कोई आदेश/नोट अंकित नही है, ना ही हमें सुना गया है। अतः गड़बड़ी करने वालों के विरूद्व कार्यवाही कर नामान्तरण निरस्त कर भूरसिंह पिता खंगारसिंह के नाम किया जावें। अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि प्रत्यर्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। उस प्रार्थनापत्र के तहत दस्तावेजों को रेकार्ड पर लेने का कोई औचित्य नही है क्योकि वादलम्बन (लिस पेडेन्सी) के सिद्धान्त से यह दस्तावेज प्रभावित है तथा न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा । अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि अपीलार्थी के पूर्वज भूरसिंह आत्मज श्री खंगारसिंह रावत के नाम पर साबिक आराजी संख्या 43/1, एंव 73/8 दर्ज रेकार्ड थी। जिसके तब्दीलात रजिस्टर सन् 2006 मे संकुनत के कॉलम मे भूरसिंह आत्मज श्री खंगारसिंह रावत नाम अंकित चला आ रहा है। इसी प्रकार अपीलार्थी अधिवक्ता सवत् 2013 सें 2016 की प्रमाणित प्रति का विवेचन करते हुए बताया कि उपरोक्त जमाबंदी मे बिना न्यायालय के किसी आदेश के, प्रथम दृष्टया ही भूरसिंह आत्मज श्री खंगारसिंह का नाम काटने का अंकन स्पष्ट रुप से दिया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थी के मामले को साबित करता है क्योंकि उक्त जमाबंदी के किसी भी कॉलम मे काट छाट किए जाने बाबत किसी भी आदेश अंकित नही है। जबकि आगामी जमाबंदी मे प्रत्यर्थी के पूर्वज का नाम गलत रुप से अंकित कर दिया गया। नामान्तरण पंजिका ग्राम चिताम्बा के नामान्तरण संख्या 2 दिनांक 27.7.1959 मे भूरसिंह आत्मज श्री खंगारसिंह की प्रविष्टि को गलत रुप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर कोटड़ा

अंकन कर जमाबन्दी संवत 2013–16 में भूरसिंह आत्मज श्री कानसिंह कर दिया उपरोक्त इंतकाल के कालम संख्या 14 मे भी यह स्पष्ट रुप से लिख रखा है कि वल्दियत की त्रुटि को ठीक किया गया। वर्ष 1957 का जो प्रार्थना पत्र बताया गया वह प्रतिलिपी है इस पर जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा का कोई आदेश नही है एवं उसकी कोई प्रमाणित कोपी नही है। नामान्तरण संख्या 2 के कॉलम संख्या 14 मे पटवारी हल्का ने रिपोर्ट अंकित की है कि प्रार्थी का नाम गलत दर्ज है जो बिना किसी आदेश के खोला गया था न ही किसी न्यायालय आदेश का अंकन उस पर है। न ही ग्राम पंचायत द्वारा वल्दियत की जांच की गई, न ही अपीलार्थी के पक्ष को सुना गया। कोई कानूनी प्रश्न है तो मियाद बाधा नही जानकारी होने पर अपील की गई।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि अपीलार्थी अपना मामला साबित नही कर पाया व इंतकाल संख्या 2 उचित जांच करके ही खोला गया है। 26.9.1998 अपील मेमों में प्रत्यर्थी को राजसमन्द निवासी बताया जहां प्रत्यर्थी निवास नही करते है। अपील साधारण व्यक्ति की जमीन हड़पने की गरज से पेश की है। न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहां प्रस्तुत अपील में सही निवास मालकोट जिला राजसमन्द अंकित किया है। अपील गलत पेश की है, अपील मेमों में फौजी होने से आवंटन की बात कहीं नही की गई। आपने जिस व्यक्ति की बात की है अपील उन्होने पेश नही की उनके वारिसों ने पेश की उनके मरने की बात भी अंकित नही की। अपील में वल्दियत गलत लिखने से अपील स्वीकार की गई। आदशे 41 नियम 27 सीपीसी कहती है जो दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले है उन्हें अपीलार्थी पेश करें, इन दस्तावेजों का अपील में प्लीडींग नही है, अतः इन दस्तावेजों को दिखाने का अधिकार नही है। न्यायालय संभागीय आयुक्त ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 15.05.2000 को निरस्त कर रिमाण्ड किया गया। न्यायालय संभागीय आयुक्त ने मुझे मालकोट निवासी माना है। दस्तावेज पेश किया परन्तु उस पर ना ग्राम पंचायत का नाम है, ना रजिस्टर कमांक एवं दिनांक अंकित है। दस्तावेज विश्वसनीय नही है, ग्राम पंचाय[illegible]र पेड पर नही है।आपने यह दस्तावेज भी एपीपी के बिना पेश किया है। [illegible] बाद मियाद बाहर पेश की है। अपीलार्थी के मामले का कोई आधार नहीं है इस कारण अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मैंने अपील मेमो, जवाब प्रत्यर्थी, पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजो व साक्ष्यों तथा इतंकाल संख्या 2 दिनांक 27.7.1959 का सूक्ष्म रुप से विवेचन किया। उभयपक्षों की बहस पर सगाह मनन किया। तथ्य इस प्रकार है —
संवत 2006 (सन् 1950) के रजिस्टर तब्दीलात मौजा तहसील करेड़ा की प्रमाणित प्रति में 43/1 एवं 13/8 खसरों में काबिज काश्तकार वल्दीयत —सकुनत के कॉलम में भूरसिंह पिता खंगारसिंह राजपूत निवासी मालकोट अंकित है।
खसरा नं. 43/1 एवं 73/8 की जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियॉ संवत 2013—16 (सन् 1957) भूरसिंह की वल्दियत खंगारसिंह को काटकर कानसिंह किया गया है जिस पर कोई आदेश /नोट अंकित नहीं है, ना ही प्रार्थी को सुनवाई के अवसर दिये जाने का अंकन है।
खसरा नं. 43/1 व 73/8 की प्रमाणित जमाबंदी 2021—24 में भूरसिह / कानसिंह रावत का नाम कृषक विवरण कॉलम में अंकित है।
नामान्तकरण पंजिका ग्राम धुँवाला के ना.सं. 2 दिनांक 27.07.1959 द्वारा भूरसिंह वल्द खंगारसिंह की प्रविष्टि को शुद्व कर भूरसिंह वल्द कानसिंह कर दिया, जिसके कॉलम 14 में अंकित है कि प्रार्थी बेवा वल्दियत गलत दर्ज है, जो भूरसिंह वल्द खंगार सिंह के बजाय भूर सिंह कानसिंह दर्ज होना चाहिए, परन्तु उसका कोई आधार/ न्यायालय आदेश का आदि का नोट अंकन नहीं है, जिसके आधार पर रेकार्ड़ ऑफ राईटस में भूरसिंह पिता खंगारसिंह की बजाय भूरसिंह पिता कानसिंह किया गया।
उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि उपरोक्त मामले मे अपीलार्थी द्वारा जिस मूल नामान्तरण संख्या 2 को आक्षेपित किया गया है उस मूल नामान्तरण संख्या 2 से यह स्पष्ट रुप से जाहिर है कि उपरोक्त नामान्तरण संख्या 2 बिना किसी न्यायिक आदेश के एवं अपीलार्थी को बिना सुनें खोला गया है। जबकि उपरोक्त इंतकाल संख्या 2 की कैफियत संख्या 14 मे ही यह स्पष्ट रुप से अंकित है कि प्रार्थी अर्थात प्रत्यर्थी के वल्दियत [illegible] गलत दर्ज है। फिर भी पंचायत द्वारा बिना कोई समुचित [illegible] भूरसिंह आत्मज श्री खंगारसिंह का नाम [illegible] कारित करता है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फर्द तब्दीलात संवत् [illegible]006 का भी अवलोकन करने से भी यह जाहिर आया है कि उपरोक्त विवादित आराजियात भूरसिंह आत्मज खंगारसिंह रावत के नाम पर ही अंकित चली आ रही थी। अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2013 –2016 का अवलोकन करने से भी जाहिर होता है कि बिना किसी आदेश के पृष्ठाकंन के, भूरसिंह आत्मज खंगारसिंह के अंकन मे खंगारसिंह को काटकर कानसिंह का नाम अंकित किया हुआ है । इसी प्रकार अपीलार्थी ने अपने समर्थन मे ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किया, जिसमे स्थानीय प्राधिकारी ग्राम पंचायत के संरपच ने स्पष्ट रुप से यह बताया कि यह जमीन गलत दर्ज हो गई है । इसके विरोध मे प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने केवल मात्र मौखिक बहस की, उसके समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नही किया व न ही ऐसे कोई आधार बताए जो प्रत्यर्थी के मामले से पूर्णतया साबित करते हो। इसके विपरीत में अपीलार्थी दस्तावेजी राजस्व अभिलेखो द्वारा यह साबित कर पाया है कि ग्राम पंचायत द्वारा त्रुटिपूर्ण इंतकाल खोला गया है। इस कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 2 दिनांक 27.7.1959 ग्राम पंचायत बितान्धा को निरस्त किया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत है। साथ ही उपरोक्त पत्रावली पर वर्तमान मे यह स्थिति पूर्ण रुप से स्पष्ट हो चुकी है कि वर्तमान विवादित जायदाद जिसके साबिक आराजी संख्या 43/1, 73/8 है के नवीन खसरा संख्या 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 1153, 1154, 1165, 1167, 1168, 1169 बने जिसमे से खसरा संख्या 1148, 1149, 1153, 1154, 1165, 1167, 1168, 1169, कुल किता 8 रकबा 4.9573 हैक्टैयर जो वर्तमान मे दौराने विचारण विक्रय किए जाने से तुलसी देवी धन्नासिंह के नाम पर अंकित चली आ रही हैं एंव शेष नवीन खसरा संख्या 1150, 1151, 1152 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0759 हैक्टयर है। जो वर्तमान मे प्रत्यर्थी अणछी पुत्री भूरसिंह, डाऊ पुत्र भूरसिंह रावत के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जो अपील के विचाराधीन रहते हुए सर्वप्रथम विरासत से राजी के बजाय डाऊसिंह पिता भूरसिंह व अणछी पुत्री भूरसिंह के नाम पर अंकित हुई । तत्पश्चात् वाद लम्बन के दौरान ही मामला न्यायाधीन होते हुए विक्रय किए जाने से वर्तमान मे तुलसी देवी पत्नी धन्नासिंह रावत के नाम पर अंकित है। इस संबंध मे न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि कोई भी मामला जब न्यायिक प्रक्रिया मे चल रहा हो तो उस न्यायाधीन विवादित जायदाद से होने वाले संव्यवहार दोनो पक्षकारो के लिए न्यायिक निर्णय के अधीन होते है व इस संबंध मे यह स्पष्ट सिद्धान्त सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 में है कि वाद लम्बन (लिसपेंडेन्सी) के सिद्धान्त के अनुसार विवादित जायदाद के संबंध मे समस्त आगामी संव्यवहार न्यायालय निर्णय के अधीन होगें। उपरोक्त मामले मे प्रकरण सन् 1998 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर

विवादाधीन था जो आज दिनांक तक न्यायाधीन है लेकिन प्रत्यर्थी ने जानबुझ कर मामला न्यायाधीन होते हुए, न्यायालय की अनुमति के बिना, विक्रय कर दिया जो वाद लम्बन (लिसपेंडेन्सी) सिद्धान्त के आधार पर प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसे शून्यकरणीय विक्रयपत्र तथा ऐसे विक्रयपत्र के आधार पर किए गए इन्द्राज भी शून्य होते है। इस कारण पत्रावली पर स्वय प्रत्यर्थी द्वारा इस तथ्य की सूचना दिए जाने के कारण पत्रावली पर मौजुद विवादित जायदाद की वर्तमान स्थिति के अनुसार पूर्ववत् स्थिति बहाल किया जाकर, अपीलार्थी भूपसिंह आत्मज श्री खंगारसिंह रावत के विधिक वारिस होने से अपीलार्थी का नाम अंकित किया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत है चुंकि तुलसी देवी पत्नी धन्नासिंह प्रत्यर्थीगण की काकी है और उसको उपरोक्त मामले की प्रारम्भ से ही जानकारी भी है इस कारण उसके द्वारा जायदाद का विवादित होना जानकर खरीदे जाने से व मामला न्यायिक निर्णय के अधीन होने से सद्भावादिक क्रेता की श्रेणी मे नही आता है। क्रेता सावधान के सिद्धान्त के अनुसार भी तुलसी देवी ने जानबुझकर यह जायदाद न्यायाधीन होते हुए खरीदी है। इस कारण ऐसा विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य व निरस्त योग्य होने के कारण ऐसे शून्यकरणीय विक्रय पत्र के आधार पर किए गए इन्द्राज भी निरस्त किए जाने योग्य है। इस अपील में प्रत्यर्थीगण ने कोई खातेदारी संबंधि दस्तावेज या आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश नही किया। अपील वर्ष 2004 में रिमाण्ड हुई वर्ष 2004 से अब तक कोई दस्तावेज इस प्रार्थनापत्र को खारीज करने बाबत् पेश नही किया। इसका प्रकरण जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के दर्ज होने का कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया गया। इस प्रकार से समस्त पत्रावली का सम्पूर्ण विवेचन, दस्तावेजो का सूक्ष्म अवलोकन व विधिक प्रावधानो का अवलोकन कर यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण का नाम ग्राम कैरो का खेडा पटवार हल्का धुवाला(क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या, तहसील करेडा के नवीन आराजी संख्या 1148, रकबा 0.2050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1149, रकबा 0.5944 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1153, रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1154, रकबा 2.0740 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1165, रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1167, रकबा 0.5564 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1168, रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1169, रकबा 0.4300 हैक्टेयर, कुल किता 8 रकबा 4.9573 हैक्टैयर मे वर्णित खातेदार तुलसी देवी पत्नी धन्नासिंह व नवीन खसरा संख्या 1150, रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1151, रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन

0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1152 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.0759 हैक्टयर को उक्त के बजाय पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार भूरसिंह पिता खंगारसिंह के नाम अंकित किया जाने योग्य पाए जाने पर तथा भूरसिंह पिता खंगारसिंह की मृत्यु हो जाने से अपीलार्थीगण के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत हैं।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण का नाम ग्राम कैरो का खेडा पटवार हल्का धुवाला,(क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या, तहसील करेडा के नवीन आराजी संख्या 1148, रकबा 0.8852 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1149, रकबा 0.5944 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1153, रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1154, रकबा 2.0740 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1165, रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1167, रकबा 0.5564 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1168, रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1169, रकबा 0.4300 हैक्टेयर, कुल किता 8 रकबा 4.9573 हैक्टैयर मे वर्णित खातेदार तुलसी देवी पत्नी धन्नासिंह व नवीन खसरा संख्या 1150, रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1151, रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1152 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.0759 हैक्टयर है, को उक्त के बजाय पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार भूरसिंह पिता खंगारसिंह की मृत्यु हो जाने से अपीलार्थीगण के नाम अंकित किया जावें। इस आशय की पालनार्थ तहरीर तहसीलदार करेडा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दाखिला नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो संबंधित तलबीदा रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी करेडा

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर करेडा